


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937

No. 562] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेतार माइक्रोफोन के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम 36 से 38 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, —

(क) "प्राधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभावी विकिरण शक्ति" के अंतर्गत एंटीना का गेन, यदि कोई हो, है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

4. छूट.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी विकिरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 36 से 38 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में बेतार माइक्रोफोन के लिए अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की

युि य या उपस्कर के उपयोग के योजन के लिए कसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, काय करने, रखने या कसी बेतार उपस्कर से व्यवहार करने के लिए कसी व्यि को अनुज्ञि क आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

तकनीक ल ण

आवृति बैंड	अधिकतम भावी वि करण शि सीमाएं
(1)	(2)
36 से 38 मेगाहट्ज	50 मिलीवाट 200 कलोहट्ज क अधिकतम आडियो चैनल बैंड विड्थ

परंतु यह क जब कभी के िय सरकार से विशि सेवा अनुज्ञि आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं ह गे ।

परंतु यह और क जहां विमानवाहित युितों या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं ह गे ।

5. शर्तें - इस नियम के अधीन अनुद छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन ह गी, अर्थात् :-

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सर्जन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकिरण या अभिग्रहण पर उेरण के सहयोजन, कसी आकषण, अपनिर्वचन या सूचनाओं क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उद्धरण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञि जारी क गई है, ाधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनु ि ा णाली को इन नियम के अधीन छूट ा कसी अ य रेडियो संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम ा हो रहा है, तो ऐसा ाधिकारी उपस्कर का स्थान प रवतन करके, उसक शि को कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग ारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनु ि ा बेतार उपस्कर के उपयो ा को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे ाधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफारश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे ाधिकारी ारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रस्थितिय को स्प करने का युि यु अवसर दान कया जाएगा ।

(ख) बेतार माइक्रोफोन के लिए ये अति निम्न शि रेडियो आवृति युि यां या उपस्कर, उपस्कर के कस्म के रूप म ऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकिपित तथा संनिर्मित ह गे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमाओं के अनुरूप ह :

परंतु यह क उपस्कर के कस्म का अनुमोदन ा करने के लिए के िय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा ।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

1. उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम :
2. विनिमाता का डाक पता :
3. उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल सं.) :

आ द)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृि रज :
2. ीसेट स्विचेबल चैनल क सं. :
3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं. :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
4. टीए स-आरए स चैनल पृथक्करण :
(डु लैक्स/ म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
6. आवृि स्थायि व :
7. कूट/सन्नादी विकिरण :
 - i. कै रयर से शन :
(कै रयर सैस्ड तं क दशा म)
 - ii. अवांछित साइड बैंड सैशन :
(एसएसबी तंत्र क दशा म)
 - iii. ितीय सन्नादी विकिरण :
 - iv. तृतीय सन्नादी विकिरण :
8. अधिकतम आवृि विचलन :
9. उ सर्जन क रीति :
10. उ सर्जन क बैंडविड्थ :
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार बैंड आवृि :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
13. अपेक्षित माँड्यूलेशन का कार :
14. पूव जोर :
15. विद्युत आउटपुट :
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अ य जानकारी :

भाग-ग- ापकों के विवरण

1. आवृि रज :
2. ाि क रीति :
3. ाि क कूट ति क्रया :

4. संवेदनशीलता :
5. आवृत्ति स्थायित्व :
6. (क) भावी ध्वनी तापमान - :
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृत्ति :
8. जोर मुक्ति :
9. चयनशीलता :
10. कोई अन्य विशेषियां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-

तारीख :

(टिप्पणः येक कार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन स्तुत कए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Wireless Microphones (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall be applicable in the 36 to 38 MHz frequency band.

3. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) “Effective Radiated Power” includes the gain of the antenna, if any;

(c) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

4. Exemption.—No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for wireless microphones in the 36 to 38 MHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Technical characteristics

Frequency band	Maximum Effective Radiated Power Limits
(1)	(2)
36 to 38 MHz	50 mW; maximum audio channel bandwidth of 200 kHz

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

5. Conditions.—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—

- (a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

- (b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for wireless microphones shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying :
for equipment type approval
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name of Product and the product :
Identification (model number etc.)

Section- B- Details of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice /Data/ TV Channels :
(In case of multi- channel equipment)
4. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
5. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
6. Frequency stability :

7. Spurious/ Harmonic radiations :
 - (i) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - (ii) Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - (iii) 2nd Harmonic radiations :
 - (iv) 3rd Harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency :
(In case of multi channel equipment)
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :
15. Power output :
(At the input of antenna)
16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :
2. Mode of reception :
3. Spurious response of receiver :
4. Sensitivity :
5. Frequency stability :
6. (a) Effective noise temperature :
(b) Threshold input level :
7. Intermediate frequency :
8. De-emphasis :
9. Selectivity :
10. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

अधिसूचना

नई द ली, 16 सितंबर, 2015

सा.का.नि. 697(अ).—के िय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तार यांिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 और धारा 10 ारा द शयि का योग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संि नाम और ारंभ.—(1) इन नियम का संक्षि नाम ेरणिक उपयोजन के लिए अति निम्न शि रेडियो आवृि युि य या उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञाि क अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है।

(2) ये राजप म काशन क तारीख को वृत्त ह गे।

2. लागू होना.—ये नियम 302 से 351 कलोहटज आवृि त बड म लागू ह गे।

3. प रभाषाएं.—इन नियम में, जब तक क संदभ से अ यथा अपेक्षित न ह , -

(क) “ ाधिकारी” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 क उप-धारा (2) के अधीन कीय सरकार ारा अधिसूचित ाधिकारी अभिेत है;

(ख) “ भावी वि करण शि त” के अंतर्गत एंटिना का गेन, य द कोई हो, है;

(ग) उन श द और पद के, जो इन नियम म युक्त ह और प रभाषित नहीं है, कतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तार यांिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) म प रभाषित ह, वही अथ ह गे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियम म दए गए ह।

4. छूट.—नीचे सारणी म यथाविनि द अधिकतम भावी वि करण शि के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 302 से 351 कलोहटज के आवृि बैंड म ेरणिक उपयोजन के लिए अति निम्न शि रेडियो आवृि क युि य या उपस्कर के उपयोग के योजन के लिए कसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, काय करने, रखने या कसी बेतार उपस्कर से व्यवहार करने के लिए कसी व्यि को अनुज्ञाि क आव यकता नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी**तकनीक ल ण**

आवृि बैंड	अधिकतम क्षे तीव्रता सीमाएं
(1)	(2)
302 से 351 कलोहटज	-15 डिसबिल माइक्रो एम्पियर ति मीटर (एच-क्षेत्र तीव्रता) 10 मीटर पर

परंतु यह क जब कभी के िय सरकार से विशि सेवा अनुज्ञाि आव यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं ह गे।

परंतु यह और क जहां विमानवाहित युि त या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं ह गे।

5. शत.—इस नियम के अधीन अनुद छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन ह गी, अर्थात् :—

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सर्जन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकरण या अभि हण पर उत्ेरण के सहयोजन, कसी आकषण, अपनिर्वचन या सूचना क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उ रण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि , जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यांिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञाि जारी क गई है, ाधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुज्ञाि ा णाली को इन नियम के अधीन छूट ा कसी अ य रेडिय संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम ा हो रहा है, तो ऐसा ाधिकारी उपस्कर का स्थान प रवर्तन करके, उसक शि को

कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग का कार्यक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञा
 1. बेतार उपस्कर के उपयोग को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे अधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने का
 सिफा रश करगे :

परंतु यह कि ऐसे रोके जाने से पूर्व, ऐसे अधिकारी का बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञा 1. उपयोग को
 प रस्थितियों को र करने का युि यु अवसर दान किया जाएगा।

(ख) ेरणिक उपयोजन के लिए ये अति निम्न शि रेडियो आवृि युि यां या उपस्कर, उपस्कर के कस्म के रूप में ऐसी रीति
 से अनुमो दत और अभिकपित तथा संनिर्मित ह गे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमा के
 अनुरूप ह :

परंतु यह कि उपस्कर के कस्म का अनुमोदन 1. करने के लिए के िय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए
 आवेदन के रूप म आवेदन किया जाएगा।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उप कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

1. उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन :
करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
2. विनिर्माता का डाक पता :
3. उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल :
सं. आ द)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृि रज :
2. िसेट स्विचेबल चैनल क सं. :
3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं. :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
4. टीए स-आरए स चैनल पृथककरण :
(डु लैक्स/ म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
5. समीपवर्ती चैनल पृथककरण :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
6. आवृि स्थायि व :
7. कूट/सन्नादी विकरण :
 - i. कै रयर सेशन :
(कै रयर सैस्ड तंत्र क दशा म)
 - ii. आवांछित साइड बैंड सेशन :
(एसएसबी तंत्र क दशा म)
 - iii. ितीय सन्नादी विकरण :
 - iv. तृतीय सन्नादी विकरण :

8. अधिकतम आवृत्ति विचलन :
9. उ सज क रीति :
10. उ सज क ब सिद्धि ड :
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार ब आवृत्ति ड :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
13. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का कार :
14. पूर्व जोर :
15. विद्युत आउटपुट :
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अ य जानकारी :

भाग-ग- 1पकों के विवरण

1. आवृत्ति रज :
2. गि क रीति :
3. गि क कूट ति क्रया & :
4. संवेदनशीलता :
5. आवृत्ति स्थायि व & :
6. (क) भावी ध्वनी तापमान :
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृत्ति :
8. जोर मुि :
9. चयनशीलता :
10. कोई अ य विशि यिं :-

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टिप्पण : प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable in the 302 to 351 kHz frequency band.

3. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

- (b) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

4. **Exemption.-** No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for inductive applications in the 302 to 351 kHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Technical Characteristics

Frequency band	Maximum Field Strength Limits
(1)	(2)
302 to 351 kHz	-15 dB μ A/m (H-Field strength) at 10 meters

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

5. **Conditions.—**The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and Section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for inductive applications shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying :
for equipment type approval
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name of Product and the product :
Identification (model number etc.)

Section- B- Details of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice /Data/ TV Channels :
(In case of multi- channel equipment)
4. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
5. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
6. Frequency stability :
7. Spurious/ Harmonic radiations :
 - (i) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - (ii) Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - (iii) 2nd Harmonic radiations :
 - (iv) 3rd Harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency :
(In case of multi channel equipment)
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :
15. Power output :
(At the input of antenna)
16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :
2. Mode of reception :
3. Spurious response of receiver :
4. Sensitivity :
5. Frequency stability :
6. (a) Effective noise temperature :
(b) Threshold input level :
7. Intermediate frequency :
8. De-emphasis :
9. Selectivity :

10. Any other particulars

:

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितंबर, 2015

सा.का.नि. 698(अ),—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के धारा 4 और धारा 10 द्वारा दिये गये शर्तों का योग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शर्तों रेडियो आवृत्तियों या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हों, के उपयोग (अनुचित अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में काशन के तारीख को वृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम 433 से 434.79 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।

3. परम्पराएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अथवा अपेक्षित नहीं है, -

(क) " अधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के धारा 4 के उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी अभिहित है;

(ख) " भावी विकरण शक्ति" के अंतर्गत एंटीना का गेन, यदि कोई हो, है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में युक्त हैं और परम्परापित नहीं हैं, किन्तु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परम्परापित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दए गए हैं।

4. छूट.—नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम भावी विकरण शक्ति के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 433 से 434.79 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में लघु रज रडार गणाली के लिए अति निम्न शर्तों रेडियो आवृत्तियों के युक्तियों या उपस्कर जिनके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां हों के उपयोग के योजन के लिए किसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, काय करने, रखने या किसी बेतार उपस्कर से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

तकनीक लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम भावी विकरण शक्ति सीमाएं
(1)	(2)
433 से 434.79 मेगाहर्ट्ज	10 मिलीवाट (ईआरपी) 10 कलोहर्ट्ज के अधिकतम चैनल बैंडविड्थ सहित (ड्यूटी साइकल सीमा 10%)

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुचित आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि जहां विमानवाहित युक्तियों या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे।

5. शत.—इस नियम के अधीन अनुदूत लूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :--

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सजन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकरण या अभि हण पर उेरण के सहयोजन, कसी आकर्षण, अपनिवचन या सूचना क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उ रण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यि, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञि जारी क गई है, अधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुज्ञि ा णाली को इन नियम के अधीन लूट ा कसी अ य रेडिय संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम ा हो रहा है, तो ऐसा अधिकारी उपस्कर का स्थान प रवतन करके, उसक शि को कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग ारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आव यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञि ा बेतार उपस्कर के उपयो ा को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे अधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफा रश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे अधिकारी ारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञि ा उपयो ा को प रस्थितिय को र करने का युि यु अवसर दान कया जाएगा ।

(ख) ये अति निम्न शि रेडियो आवृति युि यां या उपस्कर, जिसके अंतर्गत रेडियो आवृति पहचान युितियां ह, उपस्कर के कस्म के रूप म ऐसी रीति से अनुमो दत और अभिकिपत तथा संनिर्मित हगे जो तकनीक ाचल नियम 4 म नि द सारणी म विनि द सीमा के अनुरूप ह :

परंतु यह क उपस्कर के कस्म का अनुमोदन ा करने के लिए के िय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा ।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उप कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

1. उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन :
करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
2. विनिर्माता का डाक पता :
3. उ पाद का नाम और उ पाद पहचान (मॉडल :
सं. आ द)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृि रज :
2. िसेट स्विचेबल चैनल क सं. :
3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं. :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
4. टीए स-आरए स चैनल पृथककरण :
(डु लैक्स/ म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
5. समीपवर्ती चैनल पृथककरण :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
6. आवृि स्थायि व :

7. कूट/सन्नादी विकरण
 - i. कै रयर सैशन :
(कै रयर सैसड तं क दशा म)
 - ii. आवांछित साइड ब सैशनड :
(एसएसबी तं क दशा म)
 - iii. ितीय सन्नादी विकरण :
 - iv. तृतीय सन्नादी विकरण :
8. अधिकतम आवृि विचलन :
9. उ सजन क रीति :
10. उ सजन क ब विड्थ ड :
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार ब आवृिडि :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
13. अपेक्षित मॉडयूलेशन का कार :
14. पूव जोर :
15. विद्युत आउटपुट :
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अ य जानकारी :

भाग-ग- ापकों के विवरण

1. आवृि रज :
2. ाि क रीति :
3. ाि क कूट ति क्रया :
4. संवेदनशीलता :
5. आवृि स्थायि व :
6. (क) भावी ध्वनी तापमान :
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृि :
8. जोर मुि :
9. चयनशीलता :
10. कोई अ य विशिियां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टप्पणः येक कार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन स्तुत कए जाने चाहिए)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments including the Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable in the 433 to 434.79 MHz frequency band.

3. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(c) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(d) “Effective Radiated Power” includes the gain of the antenna, if any;

(e) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

4. Exemption.- No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices in the 433 to 434.79 MHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Technical characteristics

Frequency band	Maximum Effective Radiated Power Limits
(1)	(2)
433 to 434.79 MHz	10 mW (e.r.p) with maximum channel bandwidth of 10kHz (Duty cycle limit 10%)

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

5. Conditions.—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and Section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL**Section-A- Applicant**

1. Name of manufacturing agency applying :
for equipment type approval
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name of Product and the product :
Identification (model number etc.)

Section- B- Details of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice /Data/ TV Channels :
(In case of multi-channel equipment)
4. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
5. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
6. Frequency stability :
7. Spurious/Harmonic radiations :
 - (i) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - (ii) Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - (iii) 2nd Harmonic radiations :
 - (iv) 3rd Harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency :
(In case of multi channel equipment)
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :
15. Power output :
(At the input of antenna)
16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :
2. Mode of reception :
3. Spurious response of receiver :
4. Sensitivity :

5. Frequency stability :
 6. (a) Effective noise temperature :
 (b) Threshold input level :
 7. Intermediate frequency :
 8. De-emphasis :
 9. Selectivity :
 10. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 699(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 और धारा 10 ारा द शयि का योग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संि नाम और ारंभ.—(1) इन नियम का संि नाम लघु रज रडार णाली के लिए अति निम्न शि रेडियो आवृि युि या उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञि क अपेक्षा से छूट) नियम, 2015 है।

(2) ये राजप म काशन क तारीख को वृत्त ह गे।

2. लागू होना.—ये नियम 76 से 77 गीगाहटज आवृि बैंड म लागू ह गे।

3. प रभाषाएं.—इन नियम में, जब तक क संदभ से अ यथा अपेक्षित न ह , -

(क) " अधिकारी" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 क उपधारा (2) के अधीन किय सरकार ारा अधिसूचित अधिकारी अभिेत है;

(ख) " भावी वि करण शिति" के अंतर्गत ँटिना का गेन, य द कोई हो, है;

(ग) उन श द और पद के, जो इन नियम म युक्त ह और प रभाषित नहीं है, कतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) म प रभाषित ह, वही अथ ह गे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियम म दए गए ह।

4. छूट.—नीचे सारणी म यथाविनि द अधिकतम भावी वि करण शि के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 76 से 77 गीगाहटज के आवृि बैंड म लघु रज रडार णाली के लिए अति निम्न शि रेडियो आवृि क युि या उपस्कर के उपयोग के योजन के लिए कसी बेतार उपस्कर को स्थापित करने, अनुरक्षित करने, काय करने, रखने या कसी बेतार उपस्कर से व्यवहार करने के लिए कसी व्यि को अनुज्ञि क आव यकता नहीं होगी, अर्थात् :--

सारणी

तकनीक लक्षण

आवृि बैंड	अधिकतम भावी वि करण शि सीमाएं
(1)	(2)
76 से 77 गीगाहटज	5 वाट (37 डीबीएम)

परंतु यह क जब कभी के िय सरकार से विशि सेवा अनुज्ञि आव यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं ह गे।

परंतु यह और क जहां विमानवाहित युक्ति या अनुप्रयोग के लिए इस बैंड का उपयोग अपेक्षित है, वहां ये नियम लागू नहीं होंगे।

5. शत - इस नियम के अधीन अनुदूख्ट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :--

(क) अवांछित ऊजा के कसी भाव या उ सजन के कसी संयोजन, कसी रेडियो संचार णाली म कसी उ सर्जन विकरण या अभि हण पर उेरण के सहयोजन, कसी आकर्षण, अपनिवचन या सूचना क हानि से कट ऐसी अवांछित ऊजा क अनुपस्थिति म उरण कया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) क धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) क धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञाि जारी क गई है, अधिकारी को यह सूचित करता है क उसक अनुज्ञाि णाली को इन नियम के अधीन छूट ण कसी अ य रेडियो संचार णाली से हानिकर व्यतिक्रम ण हो रहा है, तो ऐसा अधिकारी उपस्कर का स्थान पर वतन करके, उसक शक्ति को कम करके, विशेष कार के एंटेना के उपयोग णा व्यतिक्रम से बचने के लिए आव यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञाि ण बेतार उपस्कर के उपयोग ण को अवसर देगा, जिसम असफल रहने पर ऐसे अधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने क सिफारश करगे :

परंतु यह क ऐसे रोके जाने से पूव, ऐसे अधिकारी णा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञाि ण उपयोग ण को परस्थितिय को स करने का युियु अवसर दान कया जाएगा।

(ख) लघु रज रडार णाली के लिए ये अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्तियुियां या उपस्कर, उपस्कर के कस्म के रूप म ऐसी रीति से अनुमोदत और अभिक्रिपत तथा संनिर्मित होंगे जो तकनीक णचल नियम 4 म निद सारणी म विनिद सीमा के अनुरूप हों :

परंतु यह क उपस्कर के कस्म का अनुमोदन ण करने के लिए के णिय सरकार को इन नियम के उपाबंध म दए गए आवेदन के रूप म आवेदन कया जाएगा।

[सं. आर – 11014/17/2014-एनटी]

वीरेश गोयल, उप बेतार सलाहकार

उपाबंध

उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क-आवेदक

1. उपस्कर कार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम :
2. विनिर्माता का डाक पता :
3. उपाद का नाम और उपाद पहचान (मॉडल सं. आद) :

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृत्ति रज :
2. णिसेट स्विचेबल चैनल क सं. :
3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनल क सं. :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
4. टीए स-आरए स चैनल पृथककरण :
(डु लैक्स/म टीचैनल उपस्कर क दशा म)

5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
6. आवृि स्थायि व :
7. कूट/सन्नादी विकरण :
i. कै रयर सैशन :
(कै रयर सैस्ड तंत्र क दशा म)
ii. आवांछित साइड बैंड सैशन :
(एसएसबी तंत्र क दशा म)
iii. ितीय सन्नादी विकरण :
iv. तृतीय सन्नादी विकरण :
8. अधिकतम आवृि विचलन :
9. उ सजन क रीति :
10. उ सजन क बैंडविड्थ :
11. परीक्षण टोन विचलन :
12. आधार बैंड आवृि :
(म टीचैनल उपस्कर क दशा म)
13. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का कार :
14. पूव जोर :
15. विद्युत आउटपुट :
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अ य जानकारी :

भाग-ग- ापकों के विवरण

1. आवृि रज :
2. ाि क रीति :
3. ाि क कूट ति क्रया :
4. संवेदनशीलता :
5. आवृि स्थायि व :
6. (क) भावी ध्वनी तापमान :
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृि :
8. जोर मुि :
9. चयनशीलता :
10. कोई अ य विशिियां :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

(टप्पणः येक कार के उपस्कर के लिए पृथक् आवेदन स्तुत कए जाने चाहिए)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2015

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Short Range Radar Systems (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable in the 76 to 77 GHz frequency band.

3. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Authority” means the authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) “Effective Radiated Power” includes the gain of the antenna, if any;

(c) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts;

4. Exemption.—No licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices or equipments for short range radar systems in the 76 to 77 GHz frequency band on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Effective Radiated Power Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE**Technical characteristics**

Frequency band	Maximum Effective Radiated Power Limits
(1)	(2)
76 to 77 GHz	5 W (37 dBm)

Provided that wherever specific service license is required from the Central Government, the provisions of these rules shall not apply.

Provided further that wherever the use of this band for airborne devices or applications is required, the provisions of these rules shall not apply.

5. Conditions.—The exemptions granted under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power and using special type of antennae; failing which such authority shall recommend discontinuation of such wireless use:

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(b) these very low power Radio Frequency devices or equipments for short range radar systems shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure to these rules.

[No. R-11014/17/2014-NT]

VIRESH GOEL, Dy. Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A- Applicant

1. Name of manufacturing agency applying :
for equipment type approval
2. Postal Address of manufacturing Agency :
3. Name of Product and the Product Identification (model number etc.) :

Section- B- Details of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice /Data/ TV Channels :
(In case of multi- channel equipment)
4. Tx-Rx channel separation :
(In case of Duplex/multi-channel equipment)
5. Adjacent channel separation :
(In case of multi-channel equipment)
6. Frequency stability :
7. Spurious/ Harmonic radiations :
 - (i) Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - (ii) Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - (iii) 2nd Harmonic radiations :
 - (iv) 3rd Harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency :
(In case of multi channel equipment)
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :

15. Power output :
(At the input of antenna)

16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :

2. Mode of reception :

3. Spurious response of receiver :

4. Sensitivity :

5. Frequency stability :

6. (a) Effective noise temperature :

(b) Threshold input level :

7. Intermediate frequency :

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars :

Signature of the applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment.)